न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45–ए/2020 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–श्रीमति मधु पत्नि स्व. प्रकाशचन्द्र गुरूजी (महात्मा) उम्र 58 वर्ष, नि0करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

2–श्री श्रेणिक पुत्र प्रकाशचंद्र गुरूजी (महात्मा) उम्र 35 वर्ष, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3–श्रीमति रजनी पुत्री स्व. प्रकाशचंद्र गुरूजी (महात्मा) पत्नि मुकेश लोढा, उम्र 39 वर्ष, निवासी ठाकुर यश अपार्टमेंट, हाऊस नंबर 131 रूम नंबर 02, सेक्टर नंबर 20, नेरूल (वेस्ट), नई मुम्बई (महाराष्ट्र)।

4–श्रीमति नीलम पुत्री स्व. प्रकाशचंद्र गुरूजी (महात्मा) पत्नि चंदन जैन, उम्र 37 वर्ष निवासी ट्रेलर ट्रांसपोर्ट विसंम होटल के पीछे, नारोल चार रास्ता, अहमदाबाद (गुजरात)।

––प्रार्थीगण।

बनाम

1–राजेश पुत्र मीठालाल गुरूजी (महात्मा) उम्र 44 वर्ष निवासी करेड़ा हाल निवासी फ्लेट नंबर 501, हाऊस नंबर 178, 05 फ्लोर गोरीनंदन अपार्टमेंट सरसोल विलेन,दर्शन दरबार रोड़ सेक्टर नंबर 06 नेरूल, नई मुम्बई–400701 (महाराष्ट्र)।

2–श्री पारसमल पुत्र नाथूलाल गुरूजी (महात्मा) उम्र 77 वर्ष, निवासी करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3–श्री शांतीलाल पुत्र नाथूलाल गुरूजी (महात्मा) उम्र 70 वर्ष, निवासी करेड़ा हाल चपरासी कोलोनी गायत्रीनगर भीलवाड़ा।

4–श्री श्यामलाल पुत्र नाथूलाल गुरूजी (महात्मा) उम्र 64 वर्ष निवासी करेड़ा हाल निवासी 53–स्वप्न विला दादा भगवान मंदिर के पीछे, कामरेच चार रास्ता सूरत (गुजरात)

5–श्री अजीत कुमार पुत्र पारसमल गुरूजी (महात्मा) 41 वर्ष निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा।

––विपक्षीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0का0 अधिनियम 1955</u>
<u>बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.11.2020

उपस्थित अधिवक्ताः–

1–श्री श्यामलाल वैद – अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2–श्री मुकेश जैन – अधिवक्ता विपक्षी सं 2 व 5
3–एक पक्षीय – विपक्षी सं. 1, 3, 4

संक्षेप में मामले में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी भूमि को (गोरमानामी, गूगरड़ा व सड़क का भड़ा के नाम की) साबिक आ0नं0 1714/2, 1356, 2850 जिसके नवीन

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आ.नं. 1905, 3921, 3935, 5536 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में स्व. श्री नाथूलाल जी पुत्र लखमीचंद जी गुरूजी (महात्मा) के नाम पर प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री कालूलाल के बड़े भाई होने से इन्द्राज हो गई थी। उपरोक्त आराजियात में स्व.नाथूलाल एवं कालूलाल जी का बराबर हिस्सा यानि कि 1/2, 1/2 होने से बंट बाबत तहरीर बैसाख बुद तीज को निष्पादित कर, दोनो भाईयों ने वादग्रस्त आराजियात के बंट कर दिये एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज हो गये, तत्पश्चात् कालूलाल जी की विरासत से प्रार्थीगण के पिता प्रकाशचन्द्र व प्रकाशचन्द्र के देहांतोपरांत उनके वारिसान प्रार्थीगण आ0नं0 3921, 3935, 5536 पर काबिज हुए। इसी प्रकार नाथूलाल जी के हिस्से अनुसार विपक्षीगण आ0नं0 1905, 5536 पर काबिज हुये। उक्त तहरीर से नाथूलाल के वारिसान पाबंद है एवं वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी एवं हिन्दू संयुक्त कुटम्ब की संपदा होने से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के हक हिस्से में आई। प्रार्थीगण अपने आधे हिस्से की आराजियात पर काबिज है, को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने एवं खातेदारी हक, अधिकारों की घौषणा कराने का प्रार्थीगण को हक व अधिकार है। इसी प्रकार स्व. नाथूलाल जी के पुत्रों मीठालाल, पारसमल, शांतीलाल एवं श्यामलाल के बीच हुये आपसी सहमति से हुये पारिवारिक समझौता पत्र से भी नाथूलाल जी के वारिसान विबंधित है। इसी प्रकार स्व. मीठालाल जी ने उक्त वादग्रस्त संपूर्ण आराजियात में से अपना 1/4 हिस्सा दर्शाकर उक्तानुसार हिस्सा विपक्षी सं. 5 अजीतकुमार को बिकाव कर दिया तथा विपक्षी श्यामलाल ने भी विपक्षी सं. 5 अजीतकुमार को वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा दर्शाते हुए रजिस्टर्ड विकय पत्र से बैचान कर दिया जो प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि आ.नं. 3921, 3935 व 5536 में से 0.05 बीघा भूमि की सीमा तक कब्जे के अभाव में रजिस्टर्ड विकय पत्र सर्वथा शून्य एवं प्रभावहीन है एवं प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर है। इस आशय की घौषणा कराते हुये प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की घौषणा कराने के अधिकारिणी हैं। प्रार्थीगण का प्रथमद्ष्ट्या मामला है। सुविधा संतुलन एवं अपरिमित क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है जिससे विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन/नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी सं. 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता मुकेश जैन उपस्थित हुये। विपक्षी सं. 1, 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

विपक्षी सं. 2 व 5 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त साबिक आ. नं. 1714/2, 1356, 2850 जिसके नवीन आ0नं0 1905, 3921, 3935, 5536 है। लख्मीचंद जी महात्मा के खातेदारी अधिकार की नहीं थी, न ही लख्मीचंद के नाम पर विवादित आराजियात पिछले 100 वर्षो से राजस्व रेकार्ड में कभी खातेदारी हक से अभिलिखित रही है अर्थात् उक्त वादग्रस्त आराजियात लख्मीचंद जी के नाम पर कभी नहीं रही है बल्कि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात हमेशा नाथूलाल व नाथूलाल जी की मृत्युपरांत उनके वारिसान के नाम पर ही अभिलिखित रही है इतना ही नहीं विवादित आराजियात पर कभी भी कब्जा व दखल प्रार्थीगण, उनके पिता एवं पितामह का नहीं रहा, न आज ही है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

दादा स्व. कालूलाल जी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित तहरीर केवल मात्र आराजियात को हड़प करने की नीयत से फर्जी एवं कूटरचित की गई है। उक्त वादग्रस्त आराजियात नाथूलाल जी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। नाथूलाल जी को विरासत से प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अकेले नाथूलाल जी के नाम पर ही उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। नाथूलाल जी के नाम पर उक्त वादग्रस्त आराजियात ठिकाना रहिन से प्राप्त हुई है। कालूलाल जी का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं था। इस कारण सहखातेदार के रूप में उनका नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई तथाकथित लिखतम सम्वत् 2025 बैशाख बुद तीज नाथूलाल जी द्वारा निष्पादित नहीं है। उक्त तथाकथित तहरीर फर्जी एवं कूटरचित है तथा ऐसी तथाकथित तहरीर से जवाबदाता विपक्षीगण के पाबंद होने का प्रश्न ही नहीं होता। उक्त वादग्रस्त आराजियात में कालूलाल जी का कोई हक हिस्सा नहीं था, इसी वजह से राजस्व रेकार्ड में कालूलाल जी का नाम दर्ज नहीं हुआ और न ही कालूलाल जी इस बाबत अपने जीवनकाल में कोई हक उजरात् ही उठाया। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात न तो पुश्तैनी है और न ही हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब की संपदा है बल्कि उक्त विवादित आराजियात नाथूलाल जी की तन्हा खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा कानूनन निहित नहीं है न ही प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही कभी रहा है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई घौषणा कानूनन कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित पारिवारिक समझौता पत्र भी सरासर फर्जी व कूटरचित है। तथा ऐसे तथाकथित दस्तावेजों से प्रार्थीगण के कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। स्व. मीठालाल जी एवं श्यामलाल जी ने अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि को रहन, बय, बक्षिस करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, इन्हीं अधिकारों के तहत उन्होंने जायज प्रतिफल प्राप्त कर उक्त विवादित आराजियात में अपना संपूर्ण हक हिस्सा विपक्षी सं. 5 को विक्रय कर विक्रय शुदा भूमि पर विपक्षी सं. 5 का आधित्य करा दिया। विपक्षी सं. 5 उक्त विक्रय शुदा भूमि का सद्भावी केता एवं पंजीकृत स्वामी है। उक्त विक्रय पत्र को शून्य, बेअसर व प्रभावहीन घौषित कराने के प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं है न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है बल्कि दोनों बिन्दु जवाबदाता विपक्षीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को कोई असहनीय क्षति नहीं हो रही है बल्कि जवाबदाता विपक्षीगण को यदि अस्थाई निषेद्याज्ञा से पांबंद किया जाता है तो अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके अलावा जवाबदाता विपक्षीगण ने अपने मजीद कथन में अंकित किया कि वादग्रस्त आराजियात नाथूलाल जी स्वअर्जित तन्हा खातेदारी अधिकार की भूमि थी जो उनके देहांत उपरांत विरासत से उनके प्रथम् श्रैणी वारिसान मीठालाल, पारसमल, शांतिलाल व श्यामलाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, तत्पश्चात् मीठालाल, शांतिलाल व श्यामलाल ने उक्त आराजियात में निहित उनका हक हिस्सा जायज प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से विपक्षी सं. 5 को विक्रय कर विक्रय शुदा भूमि पर विपक्षी सं. 5 का आधिपत्य करवा दिया एवं उक्त विक्रय शुदा भूमि विपक्षी सं. 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गई। उक्त आराजियात के किसी भी भू–भाग पर कालूलाल जी,

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

उनके पुत्र प्रकाशचन्द्र व प्रकाशचन्द्र के पश्चात् प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि उक्त विवादित आराजियात पर सदैव से नाथूलाल जी उनके वारिसान व वर्तमान में जवाबदाता विपक्षीगण का कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। कब्जे व हक अधिकार के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रकरण सं. 90 सन् 2011 राजस्व वाद वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथा निर्णय व डिकी विरासत के आधार पर जारी की गई जबकि विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घौषणा कराये जाने का वाद पत्र प्रकाशचन्द्र महात्मा का नहीं था फिर भी प्रकाशचन्द्र महात्मा द्वारा उक्त वादपत्र मिलीभगती पूर्वक डिकी करवा लिया गया जिसकी विपक्षी सं. 2 ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील में प्रकाशचन्द्र महात्मा के वारिसान प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा था कि उनका वादपत्र अपील में खारिज होगा। इस कारण पश्चात्वर्ती शोच के आधार पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त तथाकथित तहरीर के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति लेकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ऐसी कोई तथाकथित तहरीर निष्पादित हुई होती तो उसका उल्लेख प्रकाशचन्द्र महात्मा द्वारा वाद पत्र 90/2011 राजस्व वाद में प्रकट किया होता किन्तु दस्तावेज प्रार्थीगण/प्रकाशचन्द्र महात्मा द्वारा कूट रचित तैयार किया गया है। प्रार्थीगण के तथ्यों से इनका आचरण संदेहास्पद प्रकट होता है। तथाकथित तहरीर दिनांक 12.05.1984 में आ.नं. 3936 का उल्लेख किया जिसके संबंध में वाद पत्र नहीं है न ही आ.नं. 5536 का उक्त तहरीर में उल्लेख है। प्रार्थीगण द्वारा जिन तथाकथित लिखतमों के आधार अपने प्रार्थना पत्र में लिये है उक्त तथाकथित लिखतम अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्ड है जो किसी भी परिपेक्ष्य में अमान्य दस्तावेज है। पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होता है। इस प्रकार खातेदार काश्तकार व पंजीकृत स्वामी के विरूद्ध कानूनन कोई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 02 नियम 02 जाप्ता दीवानी के तहत काबिल खारिजगी के है। तथा वाद हेतुक के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज करने की प्रार्थना की गई।

उभपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये एवं दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की गई। विपक्षीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र मुख्यतः वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी एवं संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की संपदा बताते हुये तहरीर सम्वत् 2025 बैशाख बुद तीज के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त तहरीर नाथूलाल जी द्वारा निष्पादित करने एवं वादग्रस्त आराजियात का बंट करने एवं बंट अनुसार काबिज होना बताते है। प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत् RLW 2014(1) RJ पेज 4 से 6 पेश किया एवं अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया, उक्त न्याययिक दृष्टांत्

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हिन्दु अविभाजित परिवार के भूखण्ड के संबंध में जहां यह किसी दस्तावेज से साबित नहीं हो पा रहा है कि उक्त भूखण्ड का स्वामित्य किस आधार पर है परन्तु वर्तमान प्रकरण में राजस्व रेकार्ड से साबित है कि वादग्रस्त आराजियात ठिकाना रहिन से नाथूलाल वल्द लखीचंद के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर अर्जित सम्पति है। उक्त न्यायिक दृष्टांत् वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई विधिमान्यता नहीं रखता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि उक्त विवादित आराजियात लखीचंद गुरूजी (महात्मा) के नाम पर हो जबकि विपक्षी सं. 2 व 5 ने मेवाड़ बंदोबस्त सं.1994 प्रस्तुत की जिसमें उक्त आराजियात नाथूलाल महात्मा के नाम पर अंकित है जो ठिकाना से प्राप्त होना दर्शित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तहरीर सम्वत् 2025 बैशाख बुद तीज अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड दस्तावेज है। विपक्षी सं. 2 व 5 उक्त विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से भी जाहिर आता है कि उक्त आराजियात सदैव से नाथूलाल जी, उनके देहान्त उपरांत, उनके वारिसान मीठालाल, पारसमल, शांतीलाल व श्यामलाल के नाम पर रही एवं मीठालाल व श्यामलाल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्रो से बिकाव कर देने उनका हक हिस्सा विपक्षी सं. 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। कानूनन विकय पत्र को शून्य केवल सिविल न्यायालय ही घौषित कर सकता है। न्यायिक दृष्टांत **RRT 2015** (2) पेज 1221, विपक्षीगण ने प्रस्तुत किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा साथ ही संबंधित विधि का अध्ययन करने के उपरांत तथा इस स्तर पर मूल वाद के गुणावगुण पर मत व्यक्त किये बिना न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण प्रथमदृष्ट्या प्रार्थना पत्र को स्वयं के पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे है क्योंकि कोई व्यक्ति संपदा या तो विरासत से प्राप्त करता है या पंजीकृत दस्तावेजात के माध्यम से, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है,जबकि विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार है एवं दस्तावेजों से भी विपक्षीगण का प्रथमृदष्ट्या मामला बनता है। अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण स्वयं के पक्ष में प्रथमृदष्ट्या मामले को साबित करने में असफल रहे है। चूंकि प्रार्थीगण प्रथमदृष्ट्या मामले के बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते है। अतएव प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र सार्हीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण एतदद्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा